राजस्थान राज्य

बनाम

एल.बी.एस. बी.एड.कॉलेज और अन्य

(सिविल अपील संख्या 9193/2016)

सितंबर 08,2016

[दीपक मिश्रा और सी. नागप्पन-, जे. जे.]

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993- एस.एस. 7,12,32 - राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014-नियमः4, 5, 7 - एन. सी. टी. ई. द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के इच्छुक निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान करना-राज्य की भूमिका-आयोजितःएन. सी. टी. ई. को राज्य की राय को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि दोहरे तर्क द्वारा समर्थित उचित टिप्पणियों की पेशकश करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है-हालांकि, अंतिम प्राधिकरण एन. सी. टी. ई.-शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानों के पास है।

न्यायालय द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए,अभिनिर्धारित किया गया :-

1. राज्य का कहना सीमित हो सकता है, क्योंकि राज्य का कहना एन. सी. टी. ई. पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि, एन. सी. टी. ई. को इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उचित तर्क द्वारा समर्थित उचित टिप्पणियों की पेशकश करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है।अंतिम अधिकार एन. सी. टी. ई. के पास है। जब भी मान्यता प्रदान करने के लिए एन. सी. टी. ई. द्वारा बनाए गए विनियमों के तहत कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो एन. सी. टी. ई. अपने स्वयं के विनियमों द्वारा निर्देशित

होगा।एन. सी. टी. ई. इस तथ्य के बावजूद राज्य की सिफारिशों और विचारों को ध्यान में रखेगा कि उसका कहना अंतिम है।[पैरा 14 और 15) [309-सी-ई]

महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ज्ञानेश्वर शिक्षा शास्त्र महाविद्यालय और अन्य (2006) 9 एस. सी. सी. 1: 2006(3) एस. सी. आर. 638; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और अन्य बनाम श्री श्याम शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और अन्य (20) 3 एस. सी. सी. 238:2011 (2) एस. सी. आर. 291; St.Johns शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और दूसरा (2003) 3 एस. सी. सी. 321:2003 (1) एस. सी. आर. 975; आदर्श शिक्षा महाविद्यालय और अन्य बनाम सुभाष रहांगदले और अन्य (2012) 2 एस. सी. सी. 425:2012 (2) एस. सी. आर. 1; माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय अन्य उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2013) 2 एससीसी 617:2012 (13) एस. सी. आर. 810-संदर्भित।

2006 (1) एस. सी. आर. 638	संदर्भित	पैरा 10
2011 (3) एस. सी. आर. 291	संदर्भित	पैरा 9
2003 (1) एस. सी. आर. 975	संदर्भित	पैरा 10
2012 (2) एस. सी. आर. 1	संदर्भित	पैरा 11
2012 (13) एस. सी. आर. 810	संदर्भित	पैरा 13

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में डी. बी. सिविल विशेष अपील (रिट) क्रमांक संख्या 1866/2014 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.01.2015 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 9184, 9187, 9190, 9191, 9182, 9185, 9189, 9180, 9181, 9183, 9186, 9188, 9192 / 2016

पी. एस. नरसिम्हा, ए. एस. जी., शिव मंगल शर्मा, ए. एएजी सुश्री रुचि कोहली, गौरव शर्मा, ए. ओ. आर., सुश्री अभिनंदिनी शर्मा, श्रेय कपूर, एस. एन. सिंह, प्रतीक भाटिया, सुश्री वारा गौर, धवल मोहन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विवेक तन्खा, आनंद वर्मा, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, गौरव अग्रवाल, चंद्र प्रकाश, एओआर, दिशा, अमितेश कुमार, शशांक शंकर सिंह, रविकांत, मयांक मनीश, कुमनान डी., सचिन पुजारी, सुश्री निकिता श्रीवास्तव, हर्षवर्धन झा, युगांधरा झा, आदर्श उपाध्याय, सुश्री आशा गोपालन नायर, सुश्री निवेदिता नायर। प्रत्यर्थीगण के लिए

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, द्वारा पारित किया गया:-

1. अवकाश अनुदत्त की गई।

2. वर्तमान अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, डी.बी.सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1866 2014 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 22.01.2015 की कानूनी स्वीकार्यता पर सवाल उठाती हैं, जहाँ डिवीजन बेंच ने छात्रों को 28.11.2014 को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन शैक्षणिक वर्ष 2015-2016 के लिए प्रवेश देने की अनुमति दी है। आरंभ में ही, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को पहले ही प्रभावी कर दिया गया है और न ही राजस्थान राज्य के विद्वान वकील, न ही एनसीटीई, यहां प्रतिवादी, और न ही अन्य उत्तरदाताओं के पास इस पर किसी प्रकार का विवाद है।

3. विवाद का सार यह है कि क्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (संक्षिप्तता के लिए, "अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत एन. सी. टी. ई. से मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थानों की स्थापना के लिए

आवेदन करने वाले संस्थानों को मान्यता देने के मामले में राज्य सरकार का कोई कहना है।यह बताना आवश्यक है कि विद्वत एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मान्यता प्रदान करने के मामले में राज्य के पास दूर से कोई अधिकार या कहना है और खण्ड पीठ उक्त पहलू को स्वीकार किए बिना विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय से सहमति व्यक्त की है।

4. हमने श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ श्री शिव मंगल शन्ना, राजस्थान राज्य के विद्वान अधिवक्ता, श्री गौरव शर्मा, एन. सी. टी. ई. के विद्वान अधिवक्ता और सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील के साथ श्री आनंद वर्मा, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

5. यह अधिनियम पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने, शिक्षक शिक्षा प्रणाली में गैर-शिक्षकों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।यह अधिनियम 30 दिसंबर,1993 को लागू हुआ।विचार के लिए सामने आए मुद्दे की सराहना करने के लिए, अधिनियम की योजना को समझना आवश्यक है, धारा 3 एनसीटीई की स्थापना से संबंधित है, धारा 12 एनसीटीई के कार्यों की गणना करती है। हम धारा 12 को संपूर्णता में पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:-

"12.परिषद के कार्य- परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए और शिक्षक शिक्षा के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए और इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के उद्देश्यों के लिए ऐसे सभी कदम उठाए जो वह उचित समझे, परिषद-

(ए) शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन कर सकती है और उसके परिणाम प्रकाशित कर सकती है;

(बी) केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त संस्थानों को शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने के मामले में सिफारिशें कर सकती है;

(सी) देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी कर सकती है;
(डी) किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है।

(ई) शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड निर्धारित करें, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, और उम्मीदवारों के चयन की विधि, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की सामग्री और पाठ्यक्रम का तरीका शामिल हैं;

(एफ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करें, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए, और शारीरिक और निर्देशात्मक सुविधाएं, कर्मचारी विन्यास और कर्मचारी योग्यता प्रदान करने के लिए;

(जी) शिक्षक शिक्षा योग्यता, ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए मानदंड और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की योजनाओं के संबंध में मानक निर्धारित करें;

(एच) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा शुल्क और अन्य शुल्क के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करें;

(आई) शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना और प्रसार करना।

(जे) परिषद द्वारा निर्धारित नियमों, दिशा-निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समय-समय पर जांच और पुनर्विलोकन करना और मान्यता प्राप्त संस्थान को उपयुक्त सलाह देना;

(के) मान्यता प्राप्त संस्थानों पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र विकसित करना;

(एल) शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएं तैयार करना और मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करना और शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थान स्थापित करना;

(एम) शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना; और

(एन) ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हों।

धारा है-

6. अधिनियम की धारा 32 एन. सी. टी. ई. को, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ असंगत विनियम बनाने का अधिकार देती है, जो आम तौर पर अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए हैं। एन. सी. टी. ई. ने विनियमों का एक समूह तैयार किया था, अर्थात, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009।विनियमों को हटा दिया गया और विनियमों का एक अन्य समूह, अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 (फोर्शोर्ट, "2014 विनियम") लागू हुआ।विनियम 4 उन संस्थानों की श्रेणियों को निर्धारित करता है जो 2014 विनियमों के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए पात्र हैं।विनियम 5 आवेदन करने के तरीके और समय सीमा से संबंधित है।विनियम 7 आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए

प्रावधान करता है।उक्त विनियम का प्रासंगिक भाग, जो यहाँ उत्पन्न हुए विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक है, नीचे दिया गया हैः-

"7.आवेदनों का प्रसंस्करण-(1) यदि कोई आवेदन पूर्ण नहीं है, या आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न नहीं हैं, तो आवेदन को माना जाएगाःअपूर्ण और अस्वीकृत, और भुगतान किए गए आवेदन शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा।

(2) आवेदन को निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक या अधिक के तहत संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा-

(i) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नियम, 1997 के नियम 9 के तहत निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने में विफलता; (ii) विनियमन 5 के उप-विनियमन (4) के तहत आवश्यक भूमि दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन किए गए आवेदनों का प्रिंट आउट जमा करने में विफलता।ऑनलाइन आवेदन।

XXX XXX XXX

(4)संस्थान द्वारा निवेदन आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ एक लिखित संचार क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और संबंधित संबद्ध निकाय को आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, क्षेत्रीय समिति में मूल आवेदन की प्राप्ति के कालानुआदेशिक आदेश में भेजा जाएगा।

(5) संचार की प्राप्ति पर, संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को पत्र जारी करने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय समिति को अपनी सिफारिशें या टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।यदि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन मान्यता पक्ष में नहीं है, तो वह आवश्यक

आंकड़ों के साथ विस्तृत कारण या आधार प्रदान करेगा, जिन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। आवेदन का निपटान करते समय चिंतित।

(6) यदि उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित क्षेत्रीय समिति प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए और तीस दिनों का समय प्रदान करते हुए राज्य सरकार को एक अनुस्मारक भेजेगी।यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे दूसरे अनुस्मारक के जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए दूसरा अनुस्मारक दिया जाएगा।उपरोक्त अवधि के भीतर राज्य सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है।क्षेत्रीय समिति गुण -दोष के आधार पर मामले की प्रक्रिया करेगी और निर्णय लेगी और राज्य सरकार की टिप्पणियों या सिफारिशों की प्राप्ति न होने के कारण क्षेत्रीय समिति के समक्ष आवेदन रखने को स्थगित नहीं किया जाएगा।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के मामले में, नमूना अध्ययन केंद्र का निरीक्षण किया जाना चाहिए। निरीक्षण संस्थान की सहमति के अधीन नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय समिति के निर्णय के कारण निरीक्षण संस्थान को इस निर्देश के साथ सूचित किया जाएगा कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा संचार की तारीख से दस दिनों के बाद किसी भी दिन निरीक्षण किया जाएगा। क्षेत्रीय समिति है सुनिश्चित करेगी कि संस्थान को उसके संचार की तारीख से तीस दिनों के भीतर सामान्य रूप से निरीक्षण किया जाए।संस्थान को परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्दिष्ट प्रारूप पर बुनियादी ढांचे और अन्य तैयारियों के बारे में विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी ताकि निरीक्षण के समय आने वाले दल को भवन पूरा करने के साथ-साथ सक्षम व्यवहार प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाए, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हैः

बशर्ते कि क्षेत्रीय समिति अपने द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले मामलों के लिए आवेदन की प्राप्ति के कालानुआदेशिक आदेश में सख्ती से ऐसे निरीक्षणों का आयोजन करेगी।बशर्ते कि निरीक्षण के लिए आने वाले दल के सदस्यों का निराकृत क्षेत्रीय समिति द्वारा परिषद द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल में से और परिषद की आने वाली टीम की नीति के अनुसार किया जाए।"

7. इससे पहले कि हम विनियमनों की योजना के प्रभाव का विज्ञापन करें, इस अदालत के अधिकारियों को संदर्भित करना आवश्यक है जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के तहत एन. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में राज्य की भूमिका के बारे में बताया है।

8. महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ज्ञानेश्वर शिक्षा शास्त्र महाविद्यालय और अन्य (2006)9 धारा 1,एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने संसद की विधायी शक्ति, अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत एन. सी. टी. ई. को प्रदान की गई शक्ति और विश्वविद्यालयों को दी गई भूमिका को स्वीकार करने के बाद अंततः निम्नलिखित राय दीः-

> "78.प्रत्यर्थीगण ने कहा है कि उन्होंने बड़ी राशि खर्च की है और बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय, कर्मचारियों आदि पर सारभूत खर्च किया है।और कानून की आवश्यक आवश्यकताओं के बारे में संतुष्ट होने के बाद, एन. सी. टी. ई. द्वारा अनुमति दी गई थी। यदि राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर उक्त कार्रवाई को दरकिनार कर दिया जाता है, तो उन्हें अपूरणीय नुकसान होगा।चूंकि हमारे विचार में एन. सी. टी. ई. द्वारा आदेश और की गई कार्रवाई को अवैध या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है और राज्य सरकार नए बी. एड. कॉलेज को

खोलने की अनुमति नहीं देने की तथाकथित 'नीति' के आधार पर अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश नहीं कर सकती थी, इसलिए हमारे लिए उक्त विवाद में आगे बढ़ना आवश्यक नहीं है।

79.इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह कह सकते हैं कि एक स्तर पर, उच्च न्यायालय ने कहा है कि "जहां तक विश्वविद्यालय का संबंध है, एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, एक बार धारा 14 के तहत अनुमति दिए जाने के बाद, विश्वविद्यालय अधिनियम, नियम और कानूनों के बीच संबद्धता प्रदान करने के लिए बाध्य है।धारा 83 में विश्वविद्यालय को महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82 के तहत अनुमति दिए जाने के बाद ही संबद्धता देने की आवश्यकता है। उस हद तक धारा 82 और 83 के प्रावधान एन. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं और अमान्य हैं।"(जोर दिया गया)

80. हमारी राय में, यह टिप्पणी कि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82 और 83 के प्रावधान "अमान्य" हैं, सही नहीं कहा जा सकता है।हमारे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च अदालत जो बताना चाहता था वह यह था कि अधिनियम की योजना के अनुसार 1993 द्वारा कवर किए गए संस्थान पर धारा 82 और 83 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, एक बार एन. सी. टी. ई. द्वारा अधिनियम की धारा 14 (6) के तहत मान्यता दिए जाने के बाद, प्रत्येक विश्वविद्यालय ('परीक्षा निकाय') ऐसे संस्थान को संबद्धता देने के लिए बाध्य है और विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82 और 83 ऐसे मामलों पर लागू नहीं होती हैं।

81. चूँकि हमने मामलों का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया है, हमने नहीं किया है कॉलेजों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति का निपटारा किया गया राज्य को 'व्यथित व्यक्ति' नहीं कहा जा सकता और इसलिए, वह है एनसीटीई के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।"

9. निर्णय सुनाए जाने के बाद, एन. सी. टी. ई. और राज्यों ने अपनी उचित कार्रवाई का पालन किया।समय बीतने के साथ, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और अन्य बनाम श्री श्याम शिक्षा प्रतिष्ठान और अन्य (2011) 3 धारा 238 में फिर से राज्य की भूमिका को लेकर विवाद पैदा हुआ।अदालत ने संत ज्ञानेश्वर शिक्षा शास्त्र महाविद्यालय (उपरोक्त) में निर्णय दिए जाने के बाद एन. सी. टी. ई. द्वारा बनाए गए विभिन्न विनियमों का उल्लेख किया और निम्नानुसार अवलोकन कियाः-

"31.पूर्ववर्ती वर्ष का 31 अक्टूबर निर्धारित करके, परिषद ने यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्रीय समिति को आवेदन की जांच, उसके प्रसंस्करण, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से सिफारिश/सुझाव की प्राप्ति, बुनियादी ढांचे के निरीक्षण आदि के लिए कम से कम 7 महीने का समय मिलता है।इसी तरह, आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि के बाद वर्ष का 15 मई तय करके, परिषद ने यह सुनिश्चित किया है कि संस्थान को पाठ्यक्रम, शिक्षण के साथ-साथ प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो ताकि छात्रों को न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता का पालन करने का अवसर मिल सके।शैक्षणिक सत्र 2008-2009 के लिए, कट-ऑफ तिथि में संशोधन किया गया था क्योंकि 2007 के विनियम 27.12.2007 को अधिसूचित किए गए थे और विनियम 5

के खंड (4) और (5) में निर्दिष्ट कट ऑफ तिथियों के अनुसार, किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था और किसी भी संस्था को बीएड कोर्स के लिए मान्यता नहीं दी जा सकती थी।"

10. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और एध्यान दैंल्टर (2003) 3 एस. सी. सी. 321 में प्राधिकरण को संदर्भित किया, जिसमें से कुछ अंशों को पुनः प्रस्तुत किया गया था। उक्त निर्णय और अन्य प्राधिकरण, जिसमें संत ध्यानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय (सुप्रा) में प्राधिकरण के संबंध में अदालत की समझ शामिल है, और अंत में निरीक्षण किया गयाः-

"40.महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ज्ञानेश्वर शिक्षा शास्त्र महाविद्यालय और अन्य (उपरोक्त) मामले में, इस अदालत ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या एन. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद, राज्य सरकार इस आधार पर बी. एड. कॉलेज शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर सकती है कि इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिया गया था।संविधान, अधिनियम और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों और सेंट जॉन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम क्षेत्रीय निदेशक, एन. सी. टी. ई. (उपरोक्त) के फैसले को स्वीकार करने के बाद, अदालत ने कहा कि मान्यता देने के मुद्दे पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार एन. सी. टी. ई. के पास निहित है और इसे इस आधार पर उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने एन. ओ. सी. जारी करने से इनकार कर दिया है।

11. लगभग निरंतरता में आदर्श शिक्षा महाविद्यालय और अन्य बनाम सुभाष रहांगदले और अन्य (2012) 2 एस. सी. सी. 425 मामले में अदालत ने इस मुद्दे को संबोधित किया कि क्या शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के इच्छुक निजी संस्थानों को मान्यता देने के संबंध में राज्य सरकार का कोई कहना है।अदालत ने 2005 और 2007 के विनियमों का उल्लेख किया और राय दी कि उक्त प्रावधानों के पीछे का तर्क एन. सी. टी. ई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से स्पष्ट है।यह ध्यान दिया जाए कि उक्त पत्र के प्रासंगिक भागों को संत ज्ञानेश्वर शिक्षा शास्त्र महाविद्यालय (उपरोक्त) में पुनः प्रस्तुत किया गया था।विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए, अदालत ने अंततः इस प्रकार निर्णय दियाः-

> "77. उपरोक्त उदाहरणों का सर्वेक्षण यह स्पष्ट करता है कि नीचे विनियम 7(2) और (3), राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस पर सिफ़ारिश करने का हकदार है मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया है और इसकी आवश्यकता है संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा पहले विचार किया जाना है आवेदन पर अंतिम निर्णय ले रहे हैं.
>
> 78. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्थिति का गंभीरता से विरोध नहीं किया कि विनियमन 7 (2), (3), (4), (5) और (9) के साथ पठित धारा 14 (3) और 15 (3) में निहित प्रावधान अनिवार्य हैं और क्षेत्रीय समिति तब तक मान्यता प्रदान नहीं कर सकती जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो कि आवेदक ने 1993 के अधिनियम और विनियमों में निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा किया है।उन्होंने यह भी विवाद नहीं किया कि धारा 16 को देखते हुए, जांच निकाय किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान नहीं कर सकता है, चाहे वह

अस्थायी हो या स्थायी या मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के लिए मेंीक्षा आयोजित नहीं कर सकता है, जब तक कि संबंधित संस्थान ने धारा 14 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं की है या धारा 15 के तहत किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्राप्त नहीं की है।"

12. क्रमिक रूप में निष्कर्षों की गणना करते हुए, अदालत ने कहाः-

"87. उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हम मानते हैं कि आक्षेपकर्ता इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली किसी भी कानूनी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं।हम यह भी दोहराते हैं किः

(i) 1993 के अधिनियम की धारा 20 के तहत स्थापित क्षेत्रीय समितियां यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि कोई भी निजी संस्थान जो शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा रखता है, उसे तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि वह 1993 के अधिनियम की धारा 14 (3) (ए) और विनियम 7 और 8 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है।इसी तरह, शिक्षक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के इच्छुक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह 1993 के अधिनियम की धारा 15 (3) (ए) और प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(ii) राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जिसे विनियमों के विनियम 7 (2) के संदर्भ में जारी मान्यता प्रदान करने के लिए किसी संस्थान द्वारा किए गए आवेदन की एक प्रति दी गई है, विनियमों के

विनियम 7 (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी सिफारिशें करने के लिए बाध्य है।-

(iii) मान्यता देते समय, क्षेत्रीय समितियों को राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा की गई सिफारिशों को उचित महत्व देना आवश्यक है और इस अदालत द्वारा सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम क्षेत्रीय निदेशक, एन. सी. टी. ई. (ऊपर) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद बनाम श्री श्याम शिक्षा संस्थान में किए गए पालन को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस निर्णय के पहले भाग में निकाले गए हैं।

(iv) 1993 के अधिनियम की धारा 14 (3) (ए) के तहत क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई मान्यता को विनियमों के विनियम 7 और 8 के साथ पढ़ा जाएगा और संबंधित विनियमों के साथ धारा 15 (3) (ए) के तहत दी गई अनुमति संभावित रूप से, यानी मान्यता या अनुमति के आदेश के संचार की तारीख से, जैसा भी मामला हो, काम करेगी।"

13. फिर भी, माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2013) 2 एस. सी. सी. 617 मामले में एक अन्य दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सिफारिश के लिए आवेदन प्राप्त करने पर, एन. सी. टी. ई. 30 दिनों की अवधि के भीतर सभी पहलुओं पर राज्य सरकार की सिफारिशों/टिप्पणियों को आमंत्रित करने वाले अपने पत्र के साथ आवेदन की एक प्रति भेजेगा।इस तरह के आवेदन के लिए, राज्य से 60 दिनों की अवधि के भीतर अपनी पूरी टिप्पणियों के साथ जवाब देने की उम्मीद है।दूसरे

शब्दों में किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में संबंधित सभी मामलों पर राज्य की राय मांगी जाती है।अदालत ने कहा कि यह वह चरण है जहां राज्य और उसके विभागों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें उचित तर्क द्वारा समर्थित उचित टिप्पणियां देने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए।एक बार जब ये टिप्पणियां भेजी जाती हैं और राज्य सरकार अपनी राय देती है जिस पर एन. सी. टी. ई. द्वारा विचार किया जाता है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ संयोजन में जांच की जाती है, तो यह मान्यता प्रदान कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है।एक बार जब यह मान्यता प्रदान करता है, तो ऐसा अनुदान राज्य सरकार के साथ-साथ संबद्ध निकाय की तुलना में सर्वोच्चता प्राप्त करता है।आम तौर पर, इन प्रश्नों को संबद्धता के अनुदान के समय फिर से सक्रिय नहीं किया जा सकता है।

14. जैसा कि हम उपरोक्त अधिकारियों के साथ-साथ एन. सी. टी. ई. द्वारा बनाए गए विनियमों से पाते हैं, राज्य का कहना है, एक सीमित हो सकता है।हम 'सीमित' शब्द का उपयोग करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि राज्य का कहना एन. सी. टी. ई. पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि, एन. सी. टी. ई. को इसी पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उचित तर्क द्वारा समर्थित उचित टिप्पणियों की पेशकश करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है।यह कहने के लिए कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अंतिम अधिकार एन. सी. टी. ई. के पास है। यह स्पष्ट कानूनी स्थिति है।

15. सुनवाई के दौरान, हमें सूचित किया गया है कि एन. सी. टी. ई. ने कुछ संस्थानों को मान्यता दी है।जैसा कि मान्यता पहले ही दी जा चुकी है, उक्त संस्थानों के संबंध में विवाद समाप्त हो जाएगा।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भविष्य में जब भी मान्यता प्रदान करने के लिए विनियमों के तहत कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो एन. सी. टी. ई. अपने स्वयं के विनियमों द्वारा निर्देशित होगा और इस अदालत के

निर्णय और राज्य उपरोक्त सिद्धांतों से बंधे रहेंगे।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एन. सी. टी. ई. इस तथ्य के बावजूद राज्य की सिफारिशों और विचारों पर विचार करेगा कि उसका कहना अंतिम है।

16. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।